बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:: आदेश ::–

संख्या–17/विविध–03–06/2018, सा.प्र. 1099 / पटना–15, दिनांक:– 21-1-2020

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत तथा राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त अवर सचिवों को संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित विभाग/कार्यालय में अवर सचिव के रिक्त पद पर नियोजित किया जाता है:–

क्र0	सेवानिवृत्त अवर सचिव का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	विभाग/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन	06.07.1959 31.07.2019	स्वास्थ्य विभाग
2.	श्री विपिन कुमार सिंह	02.07.1959 31.07.2019	कृषि विभाग
3.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	06.04.1959 30.04.2019	समाज कल्याण विभाग
4.	श्री बलराम मंडल	02.01.1958 31.01.2018	विधि विभाग
5.	श्री कृष्ण कुमार दास	15.08.1959 31.08.2019	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
6.	श्री शैलेन्द्र नारायण मल्लिक	05.08.1959 31.08.2019	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
7.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	05.10.1959 31.10.2019	वित्त विभाग
8.	श्री रविन्द्र यादव	05.10.1959 31.10.2019	पंचायती राज विभाग

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी। प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) संकल्प की कंडिका–3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

(ग) संकल्प की कंडिका–3(5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(घ) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(ii) के तहत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में **व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ** ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(च) संकल्प की कंडिका–(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

(छ) संकल्प की कंडिका–(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

21/1/2020
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–06/2018, सा॰प्र॰ 1099 / पटना–15, दिनांकः–21-1-2020

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–06/2018, सा॰प्र॰ 1099 / पटना–15, दिनांकः–21-1-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/कृषि विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/पंचायती राज विभाग/विधि विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–15, 16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित नियोजित अवर सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–17/विविध–03–06/2018, सा॰प्र॰ 1099 / पटना–15, दिनांकः–21-1-2020

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/1/2020
सरकार के अवर सचिव।